न्यायालय–अवर न्यायाधीश प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 401/2019

सी0 आई0 एस0 601/2019

मौलाना शौकत अली वगै0.....वादीगण।

बनाम्

गुलाम रसुल खान वगै0.....प्रतिवादीगण।

आदेश

02.05.2024 उभय पक्ष की पैरवी है। वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–.15.06.2023 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0 पी सी0 आज आदेश हेतु नियत है, जिसमें वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि टाइपिस्ट की गलती से वादपत्र में कुछ आवश्यक तत्व दर्ज होना छुट गया है जिसका प्रतिवादपत्र में किये गये प्रतिदावा के मद्दे नजर सुधार होना आवश्यक है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि वांछित संशोधन महज औपचारिक प्रकृति का है तथा उससे मुकदमें की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होता है तथा अनुरोध करते हैं कि इस वाद में संशोधन करने का आदेश दिया जाये।

प्रतिवादी के तरफ से दिनांक– 08.02.2024 को प्रतिउत्तर दाखिल करते हुये प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि वादी का आवेदन कानून एवं तथ्य की दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है तथा वादी द्वारा यह वाद मुकदमा को विलम्बित करने के उद्देश्य से दाखिल किया गया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि संशोधन के आदेश होने से वाद की प्रकृति बदल जायेगी तथा

<u>लगातार</u>
02.05.2024
अनुरोध करते हैं कि वादी का संशोधन आवेदन खर्चा के साथ खारिज किया जाये।

अभिलेख का अवलोकन किया िजससे विदित होता है कि वर्तमान वाद अभी नए बने प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतु लम्बित है तथा इस वाद में अभी तक विवादक बिन्दू का गठन नहीं हुआ है तथा यह संशोधन इस वाद के निर्णय में सहायक है तथा इस वाद का प्रकृति भी नहीं बदलता है। अतः वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक– 15.06.2023 को मो0 एक हजार रूपये के खर्च के साथ स्वीकृत किया जाता है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देष दिया जाता है कि संशोधन आवेदन के अनसार वादपत्र में संशोधन कार्यालय लिपिक के समक्ष करें।

वास्ते दिनांक– 29.05.2024 प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु।

लेखापित

ह0/–

(राकेश कुमार राकेश)
सब जज प्रथम, डुमरॉव ।